

# कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर0141-2712993

Email: adpcjaipur@gmail.com

क्रमांक:-जिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/यथा हस्ताक्षर

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

## राशि आहरण आदेश 2025-26

### (संदर्भ कक्ष संचालन)

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के दिशा क्रमांक 15624100 दिनांक 11.06.2025 एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17193188 दिनांक 21.08.2025 तथा वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति क्रमांक 17394704 दिनांक 27.08.2025 की अनुपालना में वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2025-26 समावेशी शिक्षा अन्तर्गत संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक सामग्री, उपकरण एवं टीएलएम (जैसे- Assistive Devices, Equipment and TLM) उपलब्ध करवाने हेतु तथा संदर्भ कक्ष पर आने वाले CWSN विद्यार्थियों को वास्तविक किराया भुगतान करने हेतु प्रत्येक संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय को अधिकतम 15,000/-रु. (अक्षरे पन्द्रह हजार रु) राशि जयपुर एवं कोटपूतली बहरोड़ जिले के निम्न मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जिला कार्यालय के एसएनए खाता से आहरित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र.सं | ब्लॉक            | संचालित संदर्भ कक्ष का नाम                         | राशि   |
|--------|------------------|--|--------|
| 1      | आमेर             | राबामावि अचरोल                                     | 15000  |
| 2      | बस्सी            | राउमावि बस्सी                                      | 15000  |
| 3      | चाकसू            | राउमावि चाकसू                                      | 15000  |
| 4      | दूदू             | राउमावि दूदू                                       | 15000  |
| 5      | गोविन्दगढ        | राउमावि गोविन्दगढ                                  | 15000  |
| 6      | झोटवाडा ग्रामीण  | राउमावि निवारू                                     | 15000  |
| 7      | कोटपूतली         | रासरदारउमावि कोटपूतली                              | 15000  |
| 8      | फागी             | राउमावि फागी                                       | 15000  |
| 9      | शाहपुरा          | राउमावि मनोहरपुरा                                  | 15000  |
| 10     | सांभरलेक         | महात्मा गांधी राजकीय दरबार अग्रेजी माध्यम सांभरलेक | 15000  |
| 11     | विराटनगर         | राउमावि विराटनगर                                   | 15000  |
| 12     | सांगानेर ग्रामीण | राउमावि बीलवा                                      | 15000  |
| 13     | जमवारामगढ        | राउमावि जमवारामगढ                                  | 15000  |
| 14     | सांगानेर शहर     | राउमावि सांगानेर                                   | 15000  |
| 15     | झोटवाडा शहर      | राउमावि झोटवाडा                                    | 15000  |
| 16     | जयपुर पूर्व      | राउप्रावि महाराजा आदर्श हवामहल                     | 15000  |
| 17     | जयपुर पश्चिम     | राउमावि बा. लेबर कॉलोनी                            | 15000  |
| 18     | जालसू            | महात्मा गांधी राजकीय अग्रेजी माध्यम जालसू          | 15000  |
| 19     | पावटा            | राउमावि पावटा                                      | 15000  |
| 20     | तूंगा            | राउमावि तूंगा                                      | 15000  |
| 21     | कोटखावदा         | राउमावि कोटखावदा                                   | 15000  |
| 22     | माधोरापुरा       | राउमावि माधोराजपुरा                                | 15000  |
| 23     | मौजमाबाद         | राउमावि मौजमाबाद                                   | 15000  |
| 24     | आंधी             | राउमावि आंधी                                       | 15000  |
| 25     | जोबनेर           | श्रीमती रतनी देवी राबाउमावि जोबनेर                 | 15000  |
| 26     | किशनगढ रेनवाल    | रा.मा.रि.सो. उमावि किशनगढ रेनवाल                   | 15000  |
|        |                  | योग :-   | 390000 |

(अक्षरे तीन लाख नब्बे हजार रु. मात्र)



RajKaj Ref No.:  
18146739

eSign 1.0

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में अनुमोदित राशि से अधिक व्यय नहीं की जावें।
2. राशि का स्थानांतरण एसएनए कम्पोनेट Provision for Children with Special Needs (CWSN) से किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जायें। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावें।
4. उक्त मदों पर हुए व्यय की प्रविष्टि मासिक आधार पर प्रबन्धन पोर्टल एवं एम.पी.आर. में किया जाना सुनिश्चित करें।
5. संदर्भ कक्ष पर आने वाले विद्यार्थियों के वास्तविक किराये हेतु 11,000/-रु. एवं संदर्भ कक्ष पर उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत, संदर्भ कक्ष रंगरोगन, स्टेशनरी इत्यादि हेतु 4,000/-रु. प्रावधित किये गये हैं।

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक जिला-जयपुर।
2. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक संदर्भ कक्ष जिला-जयपुर।
3. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर